केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई
'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना'

पत्रांक 1878 /02-1.3.2/2012-13 दिनांक 05.03.2013

सेवा में,

1. सचिव, जलागम, देहरादून।
2. अपर सचिव, वित्त
3. अपर सचिव/निदेशक पंचायतीराज।
4. अपर सचिव, कृषि।
5. अपर सचिव, पशुपालन
6. अपर सचिव, पर्यटन।
7. अपर सचिव, उद्यान।
8. प्रबन्ध निदेशक, उपासक।
9. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई, जलागम प्रबन्ध निदेशालय देहरादून।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक

विषय : समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihoods Support Project) की परियोजना प्रबन्धन कमेटी की द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त के प्रेषण के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक **दिनांक 30.01.2013** को **सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन** की **अध्यक्षता** में एफ.आर.डी.सी. **सभागार, सचिवालय उत्तराखण्ड, देहरादून** में सम्पन्न हुई समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की परियोजना प्रबन्धन कमेटी की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त (Minutes), पत्र के साथ संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीया,

संलग्न : परियोजना प्रबन्धन कमेटी की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

(ज्योत्सना सितलिंग)
सदस्य सचिव,
परियोजना प्रबन्धन कमेटी
समेकित आजीविका सहयोग परियोजना

पत्रांक सं0 1878 /02-1.3.2/2012-13 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निजी सचिव, ग्राम्य विकास को सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, परियोजना प्रबन्धन कमेटी के संज्ञानार्थ प्रेषित।

(ज्योत्सना सितलिंग)
सदस्य सचिव,
परियोजना प्रबन्धन कमेटी
समेकित आजीविका सहयोग परियोजना

Office: 272-C Phase-II, Vasant Vihar, Dehradun - 248006 Phone No.0135-2762800, Fax-0135-2762798

सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता मे दिनांक 30.01.2013 को आयोजित 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihood Support Project-ILSP)' की राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन कमेटी की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 30.01.2013 को पूर्वाह्न 11:30 बजे सचिव, ग्राम्य विकास की अध्यक्षता मे 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन कमेटी की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक मे परियोजना प्रबन्धन कमेटी निम्न सदस्यो द्वारा प्रतिभाग किया गया:-

1. श्री विनोद फोनिया, सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन/सचिव, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति एवं अध्यक्ष, परियोजना कमेटी।
2. श्रीमति दमयन्ती दोहरे, अपर सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री एम0एम0सेमवाल, उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री जे0एल0 शर्मा, अनुसचिव, पंचायतीराज एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री कविन्द्र सिंह, अनु सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
6. सुश्री ज्योत्सना सितलिंग, परियोजना निदेशक आजीविका एवं प्रबन्ध निदेशक उपासक, देहरादून।
7. श्री बी. पी.गुप्ता, अपर निदेशक, परियोजना निदेशक, ILSP जलागम निदेशालय
8. डॉ. ए.के. सच्चर, संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून
9. श्री पवन कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपासक, देहरादून।

अन्य प्रतिभागी

1. श्री0 पी0के0 सिंह, उप निदेशक जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
2. श्री अनिल जुथाल, सलाहाकार, आजीविका।
3. श्री अजय पुरोहित सलाहकार , आजीविका।

परियोजना निदेशक, आजीविका परियोजना द्वारा सभी उपस्थित सदस्यो का स्वागत किया गया तदोपरान्त परियोजना प्रबन्धन कमेटी के अध्यक्ष, सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी, जिसमें परियोजना प्रबन्धन कमेटी की बैठक का ऐजेन्डा कार्यसूची के अनुसार प्रस्तुत किया गया। बैठक की कार्यसूची के अनुसार उक्त बैठक का कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है:-

कार्यसूची PMC:2.01: दिनांक 30.10.2012 को आजोजित 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन कमेटी की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

दिनांक 30.10.2012 को आजोजित 'समेकित आजीविका सहयोग परियोजना' की राज्य स्तरीय परियोजना प्रबन्धन कमेटी की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त माननीय सदस्यों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसका संज्ञान लेते हुए माननीय सदस्यों द्वारा उक्त कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची PMC:2.02:
समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 का प्रस्तुतिकरण किया गया जिसमें निम्नलिखित सुझावों को समावेश करने हेतु निर्देश दिये गये :–

1. सचिव ग्राम्य विकास द्वारा निर्देशित किया गया कि परियोजना क्षेत्रों के रोपवे, नदी पार करने की ट्रॅलियों, एवं पॉलीहाउसों की समुदाय से प्राप्त मांग के अनुसार उनको AWPB में शामिल किया जाय एवं आवश्यकतानुसार इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। सामान ढ़ोने हेतु उत्तरकाशी एवं हिमाचल में चल रहे रोपवे की जानकारी प्राप्त कर परियोजना क्षेत्र के ग्रामीणों को भी लाभन्वित किया जाय।

(कार्यवाही :– परियोजना निदेशक, UGVS व परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय)

2. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सुझाव दिया गया कि खेतों की पशुओं से सुरक्षा हेतु दिवालबन्दी की आवश्यकताओं का आंकलन किया जाय। इस क्रम में परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि जिन क्षेत्रों में जानवरो से सुरक्षा की आवश्यकता एवं वास्तविक मांग हो, तो Cost Sharing के आधार पर हेतु दिवालबंदी का कार्य करने हेतु मनरेगा (MNREGA) के साथ अभिसरण किया जायेगा।

(कार्यवाही :– परियोजना निदेशक, UGVS व परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय)

3. सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा निर्देशित किया गया कि कृषि उत्पादों में फसल बीमा, जोखिम कवरेज जैसी योजनाओं के क्षेत्र में UPASaC द्वारा कार्य किया जाय, जिसके लिए Agriculture Finance Corporation की योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। फसल जोखिम (Risk Insurance) से संबन्धित गतिविधियों को वर्तमान वर्ष में शामिल किया जाय।

(कार्यवाही :– परियोजना निदेशक, UGVS)

4. सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा निर्देशित किया गया कि राज्य एवं जिला स्तर पर ग्रामीण उत्पादों के लिए व्यापारिक रणनीति का विकास किया जाय एवं NRLM के साथ आवश्यक सम्बन्ध व लिकेंज स्थापित किया जाय।

(कार्यवाही :– परियोजना निदेशक, UGVS व परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय)

5. सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा जानकारी चाही गयी कि परियोजना के कियान्वयन में NGO की क्या भूमिका होगी । इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि NGO/Partner Agency/Technical Agency के चयन हेतु किये जाने वाले कार्यो की ToR बनाया जा रहा है एवं उस पर आईफेड से सहमति मिलने के उपरान्त PMC में प्रस्तुत किया जायेगा।

(कार्यवाही :– परियोजना निदेशक, UGVS व परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय)

6. सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा निर्देशित किया गया कि Grain उत्पादन पर ज्यादा जोर न देकर बैमोसमी सब्जियां, फलों, सुगन्धित जड़ी बूटी (Off Season Vegetables, Fruits, medicinal, and aromatic plants) को बढ़ावा दिया जाय जिससे कृषकों की आय में वृद्धि हो सके।

(कार्यवाही :– परियोजना निदेशक, UGVS व परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय)

7. सचिव ग्राम्य विकास द्वारा निर्देशित किया गया कि परियोजना द्वारा प्रस्तावित वाहन खरीदने से पूर्व यह अध्ययन कर लिया जाये कि परियोजना अवधि में वाहन में होने वाला व्यय का आंकलन करते हुए Cost benefit के आधार पर ही अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। गाड़ियां अनुबन्ध पर लेने व खरीदे जाने का तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरान्त गाड़ियों के खरीद के विषय में निर्णय लिया जाय। इस संबंध में शासन द्वारा जारी अद्यतन आदेश का भी संज्ञान लेते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। इस प्रकार मोटर साइकिल क्रय करने से पूर्व यह आंकलन किया जाय कि परियोजना में कार्यरत कर्मचारी के नाम पर खरीद करना उचित रहेगा अथवा परियोजना के नाम से खरीद करना लाभप्रद होगा।

(कार्यवाही :– परियोजना निदेशक, UGVS व परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय)

8. सचिव ग्राम्य विकास द्वारा यह व्यक्त किया गया कि परियोजना के तीनों कम्पोनेन्ट में प्रशिक्षणों में अधिक ध्यान है पर उनके द्वारा यह भी व्यक्त किया गया कि प्रशिक्षण को वास्तविक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाय।

(कार्यवाही :– परियोजना निदेशक, UGVS व परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय)

9. सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा निर्देशित किया गया कि तीनों PIA's हेतु एक ही MIS, Audit व External M&E System हो।

(कार्यवाही :– परियोजना निदेशक, UGVS व परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय)

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा परियोजना के वित्तीय वर्ष 2013–14 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के अनुमोदन प्रस्ताव पर सदस्यो का ध्यान आकृर्षित करते हुये वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 के लिये कुल रू.90.0576 करोड़ के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा गया जिसके पश्चात् परियोजना प्रबन्धन कमेटी द्वारा सर्वसम्मति से बैठक की कार्यसूची के अनुसार निम्न प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया –

"संकल्पित है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 की समेकित आजीविका सहयोग परियोजना की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट का संज्ञान लिया गया तथा रू.90.0576 करोड़ (रुपये नब्बे करोड़ पांच लाख छियत्तर हजार मात्र) का वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

बैठक के अन्त में परियोजना निदेशक आजीविका द्वारा सचिव महोदय व अन्य उपस्थित सभी सदस्यो का धन्यवाद किया गया। उक्त के उपरान्त सचिव महोदय की आज्ञा से बैठक का समापन किया गया।

(विनोद फोनिया)
सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन
एवं
अध्यक्ष–परियोजना प्रबन्धन कमेटी,
समेकित आजीविका सहयोग परियोजना